प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 17.10.2025

- **थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 03 राशि बकरियां, 01 राशि बकरा व अवैध असलाह-कारतूस बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 16.10.2025 को वादी वसीर अहमद पुत्र अमीर अहमद निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना मगलपुर जनपद कानपुर देहात की तहरीर के आधार पर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात पर मु0अ0सं0 366/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुये दिनांक 16.10.25 को समय करीब 23.30 बजे गढ़ी रोड नहरपुल झींझक थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के पास से प्रकाश में आए अभियुक्त जशवंत संखवार पुत्र शिवराज निवासी ग्राम जगदीशपुर खानपुर रोड़ थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को चोरी की 03 राशि बकरियां, 01 राशि बकरा व 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण –

1.जशवंत संखवार पुत्र शिवराज निवासी ग्राम जगदीशपुर खानपुर रोड़ थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि यह बकरा और बकरियाँ बीती रात ग्राम जोगिन डेरा व जगदीशपुर से अपने साथियों छोटू पुत्र मुन्ना चक एंव चन्दन पुत्र किशनू निवासीगण शंकरगंज झींझक के साथ मिलकर चोरी की थी। इन बकरा व बकरियों को छोटू के घर पर रखा था मैं इन्हे वहीं से लाया हूँ। फफूंद जाने के लिए किसी वाहन की व्यवस्था मेरे साथी कर रहे थे, कि तभी आप पुलिसवाले आ गये आप लोगों को देखकर मेरे साथी भाग गये। यह तमंचा और कारतूस छोटू ने मुझे दिया था ताकि चोरी करते समय आवश्यकता पड़ने पर पकड़े जाने से बचने के लिए तमंचे की फायरिंग से डराकर भगा सकें।

शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सार्थक प्रयास किया जा रहे हैं, शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

बरामदगी का विवरण-

03 राशि बकरियाँ, 01 राशि बकरा, व 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस।

अभियुक्त जशवंत उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 366/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मंगलपुर पुलिस।